कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांक- स्था./2025/207 दिनांक-20.09.2025

-: आदेश :-

राजस्थान उच्च न्यायलय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/904 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रुपये मासिक नियत** (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

S. No	Merit No.	Roll No.	Name	Father's / Husband's Name	DOB	Original Category	Selected Category	Gender
1.	28	58319	SUMIT KUMAR	SUNIL KUMAR	02.10.2004	EWS	GEN	MALE
2.	31	63847	RITIKA GUPTA	PRADEEP KUMAR GUPTA	21.08.2004	GEN	GEN	FEMALE
3.	42	59847	SONIYA GOYAL	PARASHURAM GOYAL	15.11.2006	GEN	GEN	FEMALE
4.	90	59898	MONIKA	SUMER SINGH	10.05.1997	OBC-NCL	OBC	FEMALE
5.	113	58152	KOMAL MEENA	RAJKUMAR MEENA	14.01.2000	ST	ST	FEMALE

1. उक्त सभी नियुक्तियॉ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं और भविष्य में किसी प्रकार की होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के अध्यधीन रहेगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।

.....2

20/09/2025

7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20/09/2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांक- स्था./2025/3980–3997 दिनांक- 20.09.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 904 दिनांक 19.09.2025 के क्रम में सादर
2. श्री सुमित कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार, निवासी मम्मा मोरी गली, बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान)-321401
3. सुश्री रितिका गुप्ता पुत्री श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, निवासी मकान नं. 87, गिरीश विहार कॉलोनी, सोनी टावर स्कूल के पास, भरतपुर जिला भरतपुर (राजस्थान)-321001
4. सुश्री सोनिया गोयल पुत्री श्री परशुराम गोयल, निवासी मम्मा मोरी गली, बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान)-321401
5. श्रीमती मोनिका पुत्री श्री सुमेर सिंह, निवासी ग्राम किठाना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)-333028
6. सुश्री कोमल मीणा पुत्री श्री राजकुमार मीणा, निवासी सी-58 आर.पी.ए. रोड़, प्रेम कॉलोनी पानीपेच, जयपुर (राजस्थान)-302016
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्री सुमित कुमार/सुश्री रितिका गुप्ता/सुश्री सोनिया गोयल/श्रीमती मोनिका/ सुश्री कोमल मीणा
8. कोपाधिकारी, धौलपुर
9. जिला न्यायालय, धौलपुर की अधिकृत बेवसाईट पर अपलोड करें
10. आदेश/सम्बंधित पत्रावली

20/09/2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर